न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली

पीठासीन अधिकारी : डॉ राजेश गोयल, आर.ए.एस.

राजस्व अपील : 47/2018

जी.सी.एम.एस. : 2018/00442

अपीलान्टगण	**बनाम**	**रेस्पोडेन्टगण**
नवलसिंह पुत्र मुकनसिंह जाति रावत निवासी करमाल तहसील मा0ज0 जिला पाली		1. नारायणसिंह गोद पुत्र उदेसिंह जाति रावत निवासी करमाल तहसील मा0ज0 जिला पाली 2. श्रीमति कंकु पत्नी श्री मुकनसिंह जाति रावत निवासी करमाल तहसील मा0ज0 जिला पाली 3. श्रीमान तहसीलदार मा0ज0 जिला पाली

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित :–

अपीलाण्ट की ओर से अधिवक्ता श्री कानाराम चौधरी

रेस्पोडेण्ट संख्या 01 की ओर से अधिवक्ता श्री पवन सिंघल

–: निर्णय :–

दिनांकः– 24.1.24

अपीलाण्टगण की ओर से उनके अधिवक्ता ने यह अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत नायब तहसीलदार मारवाड जंक्शन द्वारा स्वीकृत नामान्तरकरण संख्या 256 स्वीकृत दिनांक 13.06.2000 को निरस्त कराने हेतु पेश की है। अपील म्याद बाहर होने से धारा 5 लिमिटेशन एक्ट के तहत प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश किया। अपील सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोडेन्ट को जरिये सम्मन तलब किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड तलब किया गया। रेस्पोडेण्ट संख्या 2 बावजूद तामील अनुपस्थित रहने से उनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाती है तथा प्रकरण का गुणावगुण पर निर्णय पारित करने हेतु अधिवक्ता अपीलाण्टगण एवं अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट संख्या 01 की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट ने अपनी बहस प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराने हुए कथन किया कि ग्राम करमाल पटवार हल्का चोकडिया में अपीलाण्ट के पिता मुकनसिंह की कब्जा काश्तशुदा सामलाती कृषि भूमि आयी हुई है, जो निम्नानुसार है– खसरा नम्बर 69 रकबा 0.4047 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 74 रकबा 0.0126 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 75 रकबा 0.4174 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 77 रकबा 0.8220 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 78 रकबा 0.3541 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 79 रकबा 0.2276 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 80 रकबा 0.3415 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 81 रकबा 0.7209 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 82 रकबा 0.2403 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 83 रकबा 0.5059 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 84 रकबा 0.1390 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 85 रकबा 0.2150 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 86 रकबा 0.2529 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 87 रकबा 0.2655 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 88 रकबा 0.2655 हैक्टेयर, कुल खसरा 15 कुल रकबा 51.1849 हैक्टेयर कृषि भुमि आयी हुई है। उक्त

अति. जिला कलक्टर, पाली

आराजी के मुकनसिंह के देंहात के बाद अपीलाण्ट एवं रेस्पोडेण्ट संख्या 02 कंकु पत्नी मुकनसिंह विधिक वारियान है। रेस्पोडेण्ट संख्या 1 को अपीलाण्ट के बडे पिता उदेसिंह ने अपने जीवन काल में ही अपीलाण्ट के पिता मुकनसिंह की मृत्यु से पुर्व बालअवस्था में समाज के सामने सामाजिक रीतिरिवाज से गोद ले लिया एवं उदेसिंह की मृत्यु उपरांत उदेसिंह की पत्नी दलुबाई ने दिनांक 09.04.2003 को रेस्पोडेण्ट संख्या 01 को रजिस्टर्ड गोदनामें से गोद ले लिया जिससे रेस्पोडेण्ट संख्या 01 उदेसिंह की सम्पुर्ण आराजी का विधिक वारिसान हो गया एवं मुकनसिंह के विधिक वारिसान अपीलाण्ट संख्या 01 एवं रेस्पोडेण्ट संख्या 2 रह गये, लेकिन रेस्पोडेण्ट संख्या 03 ने मुकनसिंह के फौत होने से फौतेदगी म्युटेशन भरते समय अपीलाण्ट को साक्ष्य सबुत पेश करने एवं सुनवाई का अवसर दिये बिना व विधिक वारिसानों की जाचं किये बिना प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के वितरित जाकर रेस्पोडेण्ट संख्या 01 को अनुचित लाभ पहुचानें की नियत से जैर अपील म्युटेशन भर दिया जो काबिल खारिज योग्य है। रेस्पोडेण्ट संख्या 01 जैर अपील म्युटेशन की आड मे जैर आराजी को बेचने पर उतारू है अतः जैर अपील नामान्तरकरण संख्या 256 दिंनाक 13.06.2000 को निरस्त करावें।

रेस्पोडेण्ट संख्या 1 के अधिवक्ता ने वक्त बहस कथन किया कि जैर अपील नामान्तरकरण संख्या 256 दिनांक 13.06.2000 रेस्पोडेण्ट संख्या 03 ने भरते समय विधिक वारिसानों, एवं रेकर्ड दस्तावेजों की जांच कर भरा है। रेस्पोडेण्ट संख्या 01 का उदेसिंह के पक्ष में किसी प्रकार का रजिस्टर्ड गोदनामा नही किया हुआ है न ही इससे संबधित किसी प्रकार के दस्तावेज उपलब्ध है। प्राकृतिक न्याय एवं हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम के तहत रेस्पोडेण्ट संख्या 1 मुकनसिंह के फौत हो जाने के उपरान्त प्रथम श्रेणी का विधिक वारीसान होने से जैर अपील आराजी में समान हकदार है। यह अपील झूठे आधारों एवं बनावटी तथ्यों के आधार पर न्यायालय में नामान्तरकरण संख्या 256 के दर्ज होने के लगभग 18 वर्ष पश्चात की है, जो प्रथम दृष्टया ही म्याद बाहर होने से काबिल निरस्त है। जैर अपील नामान्तरकरण दिनांक 13.06.2000 को तहसीलदार माज0 द्वारा अमल दरामद किया गया था जबकि प्रार्थी के अनुसार रेस्पोडेण्ट संख्या 01 का गोदनामा उदेसिंह की मृत्यु के बाद उनकी पत्नी दलु बाई द्वारा दिनांक 09.04.2003 को किया गया है जो की जैर अपील नामान्तरकण के भरे जाने के बाद किया गया है। ऐसी स्थिति में गोदनामा का कोई औचित्य नही रह जाता है अतः जैर अपील निरस्त फरमावें।

हमने विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया, पत्रावली एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों को ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील उनके हक अधिकारों से संबंधित होने से अपील अपीलाण्ट को जानकारी से अन्दर म्याद शुमार की जाती है। जैर अपील नामान्तरकरण अपीलाण्ट के पिता मुकनसिंह के देहान्त होने से दर्ज किया गया था, जो नामान्तरकरण के अवलोकन से स्पष्ट है। हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 8 के तहत किसी भी हिन्दु व्यक्ति के पुत्र, पुत्री वगैरा प्रथम श्रेणी के उत्तराधिकारी होते है, जिससे किसी भी फौतेदगी नामान्तरकरण दर्ज करने से पूर्व उक्त व्यक्ति के समस्त विधिक वारिसान की जानकारी करने के पश्चात एवं साक्ष्य सबुत एवं सुनवाई का पर्याप्त अवसर दिये जाने के बाद ही राजस्व अधिकारियों को उनके समस्त विधिक वारिसान के नाम नामान्तरकरण दर्ज करना चाहिए, हस्तगत प्रकरण में नामान्तरकरण भरते समय कोई विधिक त्रुटि रही हो ऐसा प्रतीत नहीं होता है। जैर अपील

अति. जिला कलक्टर, पाली

नामान्तरकण 13.06.2000 को तहसीलदार मा0ज0 द्वारा पारित किया है पत्रावली में सलंग्न गोदनामा उदयसिंह की मृत्यु के पश्चात उनकी पत्नी दलुबाई ने स्वंय के केवल दो पुत्रियां होने से अपनी सेवाचाकरी एवं सामाजिक कार्यक्रम यथा पुत्रियों के मायरा एवं दलुबाई के स्वर्गवास होने पर क्रियाकर्म आदि करने के लिए रेस्पोडेण्ट संख्या 01 को गोद लिया था। चुकिं गोदनामा दिनांक 09.04.2003 को उदयसिंह के फौत हो जाने के उपरान्त केवल उदेसिंह की पत्नी दलु बाई ने अपने देवर के पुत्र नारायणसिंह को गोद लिया। जैर अपील नामान्तरकरण 13.06.2000 को भरा गया था ऐसी स्थिति में यह स्पष्ट है कि जैर अपील नामान्तरकरण जारी करते समय गोदनामा अस्तित्व में ही नही था। अतः उपरोक्त समस्त तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए जैर अपील स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है।

परिणाम स्वरूप अधिवक्ता अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत यह अपील सारहीन होने से अस्वीकार कर खारिज की जाती है निर्णय की सत्य प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड लौटाया जावे।

(डॉ राजेश गोयल)
अति. जिला कलक्टर, पाली
अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली

निर्णय आज दिनांक 24/1/24 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ राजेश गोयल)
अति. जिला कलक्टर, पाली
अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली